Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क १०] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या ११

शनिवार, दिनांक २७ मार्च, १९७१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.०० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान राज्य के वित्तीय विवरण का उपस्थापन।

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : श्रीमन्,

मैं १९७१-७२ के बजट तखमीने पेश कर रहा हूं।

उद्देश्य और नीतियां

२. लोक सभा के ऐतिहासिक चुनावों के बाद, इस बजट की एक खास अहमियत है। इन चुनावों ने देश के राजनैतिक इतिहास को एक नया मोड़ दिया है। मैं भारतीय मतदाता की सूझबूझ की दाद दिये बिना नहीं रह सकता जिसने सामाजिक न्याय और आर्थिक बहबूदी हासिल करने के लिये जनतांत्रिक प्रणाली में हमारी आस्था को सिद्ध कर दिया है।

३. इन चुनावों से एक शांतिपूर्ण सियासी इन्कलाब आया है। तरक्की और सामाजिक तब्दीली चाहने वाले तत्वों को जबरदस्त समर्थन देकर इस सैलाब ने एक ही झटके में सरमायेदारों और समाज के ठेकेदारों की राजनीतिक सत्ता का सफाया कर दिया है। विशेषाधिकार और प्रतिक्रियावादी तत्वों के हिमायतियों को दी गई जबरदस्त शिकस्त ने देश की सियासी जिन्दगी को एक नया रुख दिया है।

४. चुनावों के नतीजों के लाजमी तौर पर दूरगामी परिणाम होंगे। असें दराज से दबे हुए अवाम ने बेहतर जिन्दगी के अपने हक का दावा किया है। एक नया जोश, एक नयी उम्मीद उभर आई है, खास तौर से नौजवानों और मजलूमों में। राजनैतिक नेताओं की यह जिम्मेवारी है कि इस जोश को रचनात्मक मोड़ दें और लोगों के उभरते हुए अरमानों को पूरा करें। मुझे यकीन है कि श्रीमती गांधी के गतिशील और प्रबुद्ध नेतृत्व में नई केन्द्रीय सरकार इस चुनौती का मुकाबला करेगी और जनता से किये गये वायदों को निभायेगी।

५. हम अक्सर भूल जाते हैं कि माली तरक्की से अपने आप प्रगति नहीं होती और विकास की गति तेज कर देने से ही गरीबी दूर नहीं होती। विकास के प्रयत्नों की सफलता जितनी राष्ट्रीय सम्पत्ति के इजाफे पर मुनस्सर है उतनी ही उसके उचित बंटवारे

(श्री मथुरादास माथुर)

५। हमारा योजनाबद्ध विकास तभी सार्थक होगा, जब विकास के फल समाज के अब तक उपेक्षित लोगों को बढ़ते हुए पैमाने पर हासिल होते जायेंगे। यह अनिवार्य है, कि हमारे सारे प्रयत्न ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों की दिशा में हों, जिससे आमदनी और पूंजी की असमानता कम हो और दबे हुए तबके के इन्सानों के स्तर को ऊपर उठाया जा सके।

६. इसलिये राजस्थान में हम समतावादी और समाजवादी व्यवस्था कायम करने की दिशा में उठाये जाने वाले तमाम प्रगतिशील कदमों का तहेदिल से समर्थन करते हैं। कमजोर और दबे हुए लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिये हम लगातार हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कृषि उत्पादन, बेरोजगारी, भूमि सुधार और आवश्यक सुख-सुविधा जुटाने की दिशा में हम ठोस कदम उठायेंगे, जिसमें राज्य सरकारों को महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। मैं आगे चल कर इनमें से कुछ बातों की विस्तार से चर्चा करूंगा।

आर्थिक स्थिति

७. राज्य सरकार के उद्देश्यों एवं नीतियों का मोटे तौर पर जिक्र करने के बाद, मैं अब राज्य की आर्थिक स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा करना चाहूंगा। दो लगातार सूखों के पश्चात् इस वर्ष राज्य के अधिकांश भागों में समुचित एवं समयानुकूल वर्षा हुई जिसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब तक सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन १९६७-६८ में ६६ लाख टन था और पिछले वर्ष १९६९-७० में उत्पादन केवल ४७ लाख टन था। इसके मुकाबले इस वर्ष ७६ लाख टन के रेकार्ड-उत्पादन की आशा है। यह असाधारण वृद्धि बहुत कुछ कृषि उत्पादन कार्यक्रम की सफलता खासतौर पर अधिक पैदावार वाली किस्मों के अन्तर्गत बढ़ते हुए रकबे के कारण सम्भव हुई है।

८. राज्य के औद्योगिक उत्पादन में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देश के पिछड़े हुए इलाकों में औद्योगिक विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप राज्य में कई नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है, विशेषतः लघु एवं मध्यम श्रेणी में, और साथ ही साथ मौजूदा उद्योगों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि रासायनिक खाद एवं वनस्पति के उत्पादन में हुई है। वर्ष १९७० में खनिज उत्पादन में भी गत वर्ष की अपेक्षा ६.२८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें रॉकफॉसफेट, लेड और जिंक कन्सन्ट्रेट एवं आइरन ओर विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

सालाना योजना १९७०-७१

९. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने बजट में १९७०-७१ की सालाना योजना के लिये ५६.२३ करोड़ का प्रावधान दिखाया था। इसके लिये ८.५१ करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था राज्य को अपने अतिरिक्त साधन जुटाकर करनी थी–जिसमें १.५५ करोड़ रुपये आबकारी नीति में किये गये परिवर्तन और १.१८ करोड़ रॉकफॉसफेट की बिक्री से होने वाली आय सम्मिलित थी। परन्तु केन्द्रीय सरकार इन दो मदों से होने वाली आय को राज्य के अतिरिक्त साधनों में शुमार करने पर राजी नहीं हुई। इस वजह

(श्री मथुरादास माथुर)

से और कुछ अन्य मदों में कमी-वेशी के कारण राज्य के अतिरिक्त साधन जुटाने से आय घट कर ४.८४ करोड़ रह गयी। परन्तु राज्य के बिजली बोर्ड को लाइफ इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन और सार्वजनिक ऋण द्वारा २.१२ करोड़ सहकारी संस्थाओं की हिस्सा-पूंजी के लिये रिजर्व बैंक से ०.३८ करोड़ अधिक ऋण मिलने के कारण सामान्य योजना का प्रावधान बढ़कर ५८.७५ करोड़ हो गया है। चूंकि योजना के लिये कुल उपलब्ध साधन केवल ५५.०६ करोड़ ही हैं, इसलिये योजना व्यय में १६७०-७१ के बजट में २.६६ करोड़ का घाटा होगा।

अकाल सहायता

१०. सन् १६६८ में सूखे से उत्पन्न संकट का सामना करने के लिये सरकार द्वारा किये गये अकाल सहायता कार्यों का जिक्र मैंने अपने पिछले बजट भाषण में किया था। मैंने इस बात का भी उल्लेख किया था कि १६६६ में भी राज्य के बड़े भाग में वर्षा नहीं हुई और रेगिस्तानी इलाकों में कई वर्षों से लगातार सूखा पड़ने से वहां स्थिति और भी गम्भीर हो गई थी। १६६६ में राज्य के २३ जिलों के १०१७३ गांवों में सूखे की स्थिति की घोषणा करनी पड़ी जिसमें लगभग ७२ लाख ३४ हजार लोग प्रभावित थे। पहले की तरह राज्य सरकार ने इस बार भी इस गम्भीर स्थिति का दृढ़ता, तत्परता और सहानुभूति से मुकाबला किया और सभी सूखेग्रस्त इलाकों में बड़े पैमाने पर सहायता कार्य शुरू किये गये। १६६६ में वर्षा के अभाव के कारण राज्य सरकार को अकाल सहायता कार्यों पर कुल ६८.५७ करोड़ रुपया व्यय करना पड़ा। इसमें से १६६६-७० के वित्तीय वर्ष में अक्टूबर, १६६६ से मार्च, १६७० तक २०.६० करोड़ और शेष ४७.६७ करोड़ इस वित्तीय वर्ष में अप्रेल, १६७० से दिसम्बर, १६७० तक की अवधि में खर्च हुआ। नवम्बर, १६६६ और मई, १६७० में आने वाले केन्द्रीय अध्ययन दलों ने अक्टूबर, १६६६ से जुलाई, १६७० तक की अवधि के लिये कुल ३२.१६ करोड़ रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की थी और अब तक हमें ३८.६५ करोड़ केन्द्रीय सहायता मिल चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में अकाल सहायता कार्यों के लिये अब तक हमें २०.३५ करोड़ की केन्द्रीय सहायता मिल चुकी है। चूंकि केन्द्रीय दल द्वारा मुकर्रर की गई व्यय-सीमा हमारी जरूरतों के मुकाबले में कम थी, इसलिये हमने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि हमारी जरूरतों का दुबारा अध्ययन करने के लिए एक और दल भेजा जावे। एक केन्द्रीय दल ने हाल ही में राज्य का दौरा किया है मगर अभी उसकी सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। इस वर्ष के संशोधित अनुमानों में हम यह मान कर चले हैं कि जो ४७.६७ करोड़ का खर्चा हुआ है, उसमें से हमें ४६.४४ करोड़ की केन्द्रीय सहायता मिल जायेगी और अकाल सहायता फण्ड में से १.२३ करोड़ डालने के बाद कुल खर्चा पूरा हो जायेगा।

११. शायद इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि बड़े पैमाने पर अकाल राहत के खर्चे से राज्य के वित्तीय साधनों पर भारी बोझ पड़ा है। बदकिस्मती से राज्य में १६६३, १६६५, १६६६, १६६८ और १६६६ में सूखा पड़ने से राज्य

(श्री मथुरादास माथुर)

सरकार को राहत कार्यों पर १९६३-६४ से १९७०-७१ तक १५७ करोड़ की धनराशि खर्च करनी पड़ी। यह सही है कि इस खर्च के मुकाबले हमें १२१ करोड़ की केन्द्रीय सहायता मिल चुकी है और बाकी २६ करोड़ मिलने की आशा है। मगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अकाल के लिये सहायता ज्यादातर बतौर कर्ज मिलती है जिसे हमें दस साल के अन्दर मय सूद चुकाना पड़ता है। लगातार सूखे की वजह से राज्य की माली हालत पर कितना बोझ पड़ा है, इसका अन्दाज इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक अकाल सहायता के लिये प्राप्त १०६ करोड़ के ऋण का चुकारा राज्य सरकार को करना है। अगले पांच वर्षों में इस कर्ज के चुकारे के लिये ब्याज लगभग २० करोड़ और असल ६० करोड़ की देनदारी होगी। केवल १९७१-७२ में अकाल सहायता ऋण के चुकारे की देयता १७.१३ करोड़ होगी, जिसमें ५.२६ करोड़ ब्याज और ११.८७ करोड़ असल की अदायगी शामिल है। सूखाग्रस्त जनता को राहत पहुँचाने के कार्य को राज्य सरकार हमेशा प्राथमिकता देती आयी है मगर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस भारी देनदारी से राज्य की माली हालत पर बुरा असर पड़ेगा।

संशोधित अनुमान १९७०-७१

१२. अब मैं वर्ष १९७०-७१ के संशोधित अनुमानों के बारे में चर्चा करूंगा। बजट के तखमीने और संशोधित अनुमानों का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपयों में)

	बजट तखमीने १९७०-७१	संशोधित अनुमान १९७०-७१
राजस्व खाते में प्राप्तियां	+१७४.१०	+१८२.५८
राजस्व खाते में होने वाला व्यय	—१८८.०७	—२११.५७
पूंजी खाते में प्राप्तियां	+१७९.६८	+३६५.५०
पूंजी खाते का व्यय	—१६५.२७	—३४७.०७
कुल बजट का घाटा	—२९.५६	—१८.५६

१३. मैंने अपने पिछले बजट-भाषण में कहा था कि योजना और अकाल राहत कार्यों पर होने वाला व्यय प्राप्त साधनों से पूरा हो जावेगा और १९७०-७१ के बजट तखमीने में दिखाया गया पूरा घाटा बजट के गैर-योजना मद में होगी। संशोधित अनुमानों में दिखाया गया १८.५६ करोड़ का घाटा, ३२.६५ करोड़ की केन्द्र से बजट के घाटे को पूरा करने के लिये मिली विशेष सहायता, पिछले वर्ष अकाल और बाढ़ सहायता में खर्च की गयी रकम के पेटे केन्द्र से प्राप्त बकाया ६.०० करोड़ और चम्बल प्रोजेक्ट के लिए २.०१ करोड़ की बकाया की प्राप्ति के बावजूद है। इसके विपरीत हमने इस साल के दौरान २५.४४ करोड़ के वेज एण्ड मीन्स के घाटे को भी पूरा किया। इस सबसे राज्य के साधनों की स्थिति में १५.२२ करोड़ का सुधार हुआ है, परन्तु इन्हें १९७०-७१ के बजट के तखमीनों में नहीं दिखाया गया था।

(श्री मथुरादास माथुर)

बजट के कुल घाटे की सही तौर पर तुलना करने के लिये संशोधित अनुमानों में दिखाये गये कुल १८.५६ करोड़ के घाटे में १५.२२ करोड़ को भी जोड़ना आवश्यक है। इस प्रकार बजट में दिखाये गये २६.५६ करोड़ के घाटे के मुकाबले संशोधित अनुमानों के अनुसार असल में कुल घाटा ३३.७८ करोड़ का मानना चाहिये, जो ४.२२ करोड़ के घाटे में वृद्धि दिखाता है। जहां तक अकाल सहायता व्यय का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही बता दिया है कि इस पर होने वाले कुल ४७.६७ करोड़ खर्चे को पूर्ति ४६.४४ करोड़ केन्द्रीय सहायता से और अकाल सहायता फण्ड से १.२३ करोड़ डालने से हो, जाने की सम्भावना है। १६७०-७१ के बजट अनुमानों में हम मान कर चले थे कि राज्य की योजना के कारण बजट में कोई घाटा नहीं होगा, परन्तु जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं, योजना व्यय से २.६६ करोड़ का घाटा रहेगा। संशोधित अनुमानों में जो कुल ४.२२ करोड़ की घाटे में बढ़ोतरी हुई है उसमें से बजट के तखमीनों की तुलना में गैर योजना मद के केवल १.२३ करोड़ का ही घाटा बढ़ा है।

बजट के तखमीने १६७१-७२

राजस्व प्राप्तियां

१४. अब मैं सन् १६७१-७२ के बजट तखमीनों के खास मुद्दों का जिक्र करूंगा। राजस्व से प्राप्तियां १८६.०१ करोड़ आंकी गयी हैं। मोटे तौर पर इन प्राप्तियों में फाइनेन्स कमीशन एवार्ड के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली ५०.३५ करोड़ और केन्द्रीय अनुदान सहायता ३०.८६ करोड़ सम्मिलित है। केन्द्रीय अनुदान सहायता का विवरण इस प्रकार है:—

(१) राज्य की योजना के लिये	१३.०६ करोड़
(२) केन्द्र संचालित स्कीमों के लिये	१६.५२ करोड़
(३) नशाबंदी के लिये	००.५० करोड़
(४) कुछ गैर योजना कार्यों के लिये	००.७८ करोड़

१५. शेष १०४.८० करोड़ की प्राप्तियों में राज्य के करों में होने वाली आय और गैर कर आय शामिल है। १६७०-७१ के संशोधित अनुमानों के मुकाबले मुख्य वृद्धि फाइनेन्स कमीशन एवार्ड से प्राप्त होने वाले ३ करोड़, बिक्री कर ३ करोड़, जमीन की बिक्री ३.१६ करोड़, राज्य की योजना के लिये केन्द्रीय सहायता १.१७ करोड़ और केन्द्र संचालित स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता ५.६२ करोड़ के कारण है।

राजस्व व्यय

१६. राजस्व खाते से होने वाले व्यय का अनुमान १६७.२८ करोड़ रखा गया है। इसमें से गैर योजना मद में १६४.१६ करोड़, राजस्व खाते में राज्य योजना के लिये १६.४४ करोड़ और केन्द्र संचालित स्कीमों पर १६.६८ करोड़ व्यय शामिल है। १६४.१६ करोड़ के गैर योजना व्यय में से ३५.८७ करोड़ रुपया तो केवल ब्याज चुकाने के लिये है। राजस्व व्यय के अन्य बड़े मद इस प्रकार हैं—शिक्षा ३८.५६ करोड़, पुलिस ११.३३ करोड़ और चिकित्सा १०.६४ करोड़। राज्य सरकार द्वारा

(श्री मथुरादासमाथुर)

१ जनवरी, १९७१ से राज्य कर्मचारियों को दी गयी एडहॉक अन्तरिम सहायता के कारण १९७१-७२ में ३.८० करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा।

१७. चूंकि राजस्व प्राप्तियों का अनुमान १८६.०१ करोड़ और राजस्व व्यय का १९७.२८ करोड़ है, अतः राजस्व खाते में अनुमानित घाटा ११.२७ करोड़ होगा।

पूंजी खाते में संवितरण

१८. पूंजी खाते की, जिसमें सार्वजनिक खाता भी सम्मिलित है, स्थिति इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपयों में)

(१) सार्वजनिक ऋणों की अदायगी	३.८४
(२) केन्द्र के ऋणों का चुकारा	३७.७१
(३) स्वायत्त संस्थाओं से ऋण की अदायगी	०.८१
(४) जागीर बाण्ड चुकारा	१.५०
(५) पूंजीगत व्यय:—	
(अ) राज्य योजना और केन्द्र संचालित स्कीम	२७.९७
(ब) स्टेट ट्रेडिंग में शुद्ध संवितरण	२.९८
(स) स्टेट ट्रेडिंग के अलावा गैर योजना व्यय	१.९४
(६) राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम संवितरण—	
(अ) राज्य योजना और केन्द्र संचालित स्कीमें	१३.२७
(ब) गैर योजना	५.०३
कुल	८९.०५

१९. ऊपर बताये गये संवितरण के मुकाबले में पूंजी खाते में, जिसमें पब्लिक एकाउन्ट भी शामिल है, कुल प्राप्तियां ७४.८२ करोड़ की आंकी गयी हैं। इन प्राप्तियों के मुख्य मद इस प्रकार हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

(१) सार्वजनिक ऋण	७.९७
(२) केन्द्र से ऋण—	
(अ) राज्य योजना और केन्द्र संचालित स्कीमें	३१.४८
(ब) गैर योजना (अकाल सहायता के अतिरिक्त)	१.७१
(स) अकाल सहायता	—
(३) स्वायत्त संस्थाओं से ऋण (योजना के लिये)	१.१०
(४) अल्प बचत संग्रह में राज्य का हिस्सा	२.७५
(५) ऋण व अग्रिम की वसूली	१४.३७
(६) जागीर बाण्ड जारी करने से	०.५०

(श्री मथुरादास माथुर)

(७) पब्लिक एकाउन्ट की प्राप्तियां — १४.६४

कुल — ७४.८२

कुल बजट की स्थिति

(२०) इस प्रकार पूंजी खाते में, जिसमें पब्लिक एकाउन्ट शामिल हैं, कुल १४.२४ करोड़ का घाटा है। पहले बताये गये राजस्व खाते के ११.२७ करोड़ के घाटे को इसमें मिलाने से, १९७०-७१ के कर स्तर पर कुल घाटा २५.५१ करोड़ का हो जाता है। यहां पर यह बताना उचित होगा कि यह घाटा खर्च के तीन बड़े मदों में—अकाल सहायता, योजना और गैर योजना में किस प्रकार बंटा हुआ है। जहां तक अकाल सहायता का सवाल है, सौभाग्य से १९७० में राज्य में अच्छी वर्षा हुई है। अतः बजट में अकाल सहायता कार्यों के लिये कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। केन्द्र संचालित स्कीमों पर होने वाले १७.२३ करोड़ के व्यय के बराबर धनराशि हमें केन्द्रीय सहायता के रूप में मिल जायगी। हम यह मान कर चले हैं कि वार्षिक योजना १९७१-७२ के लिये राज्य के अपने साधनों से ९.१३ करोड़ उपलब्ध हो जायेंगे। परन्तु अतिरिक्त साधन जुटाने के चौथी योजना काल में किये गये अब तक के प्रयत्नों से केवल ६.३५ करोड़ ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार योजना व्यय के कारण बजट तखमीनों में २.७८ करोड़ का घाटा दिखाई देगा। इस घाटे को किस प्रकार पूरा किया जायेगा उसका जिक्र मैं आगे चल कर करूंगा। इस प्रकार गैर योजना मद का २२.७३ करोड़ का घाटा ही रह जाता है जो कि हमें आशा है कि केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता से पूरा हो जायगा।

सालाना योजना १९७१-७२

२१. विकास की गति को तेज करने की हमारी सदैव से नीति रही है और इसीलिये सालाना योजना का प्रावधान ५८.०५ करोड़ से बढ़ाकर १९७१-७२ में ६५.९० करोड़ करने का प्रस्ताव है, जिसके लिये वित्तीय साधन इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

(१) केन्द्रीय सहायता — ४४.००

(२) वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अन्तर्गत खाद्यान्नों की बिक्री से प्राप्त आय जो राजस्थान कैनाल क्षेत्र के विकास के काम में लायी जायेगी — ०.६५

(३) सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी के लिये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त होने वाला ऋण — ०.२०

(४) गृह निर्माण व भूमि अवाप्ति और विकास की स्कीमों के लिये लाइफ इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन से प्राप्त होने वाला ऋण — ०.९०

(५) शहरी जलप्रदाय योजनाओं के लिए लाइफ इन्श्योरेन्स कोरपोरेशन से प्राप्त होने वाला ऋण — १.३२

(६) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा खुले बाजार व

(श्री मथुरादास माथुर)

लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन से प्राप्त होने वाला ऋण	७.००
(७) राज्य सरकार का अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयत्नों से योगदान	९.४३
(८) केन्द्र द्वारा साधन जुटाने के प्रयत्नों में राज्य का हिस्सा	२.४०
कुल...	६५.९०

२२. बजट दस्तावेज में वार्षिक योजना की धनराशि ६५.६० करोड़ दिखाई गई है, परन्तु इसको नई योजनाओं पर अमल करने के लिये बढ़ाकर ६५.९० करोड़ कर दिया गया है।

२३. सालाना योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पादन और देहातों के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों को दी गई है, जैसे मध्यम और छोटी सिंचाई योजनायें और ग्रामीण विद्युतिकरण। सामाजिक सेवाओं के प्रावधान खासकर शिक्षा चिकित्सा और स्वास्थ्य और ग्रामीण जलप्रदाय में वृद्धि की गई है जिससे जनता को जरूरी सुविधायें उपलब्ध की जा सकें। अब मैं विकास कार्यक्रमों के खास खास पहलुओं का मुख्तसर तौर पर जिक्र करूंगा।

कृषि कार्यक्रम

२४. कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्नों की अधिक पैदावार वाली किस्मों के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र लाने पर विशेष जोर दिया जायेगा। अधिक पैदावार देने वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र इस वर्ष के ६.८० लाख हैक्टर से बढ़ाकर १९७१-७२ में ८.५० लाख हैक्टर करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के बीजों का वितरण १९७०-७१ में ३.५५ लाख क्विन्टल से बढ़ाकर १९७१-७२ में ४.२३ लाख क्विन्टल हो जाने की आशा है। रासायनिक खाद की खपत का लक्ष्य मौजूदा वर्ष की २.८१ लाख टन की सम्भावित उपलब्धि के मुकाबले ३.५१ लाख टन करने का प्रस्ताव है। वित्तीय संस्थाओं की सहायता से चम्बल और राजस्थान नहर क्षेत्र में १९५० हैक्टर भूमि को समतल करने के अलावा भू-संरक्षण कार्य ४४ हजार हैक्टर में करने का इरादा है इन सब प्रयत्नों और सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के द्वारा १९७१-७२ में खाद्यानों की उत्पादन क्षमता २.८९ लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य है जबकि १९७०-७१ की संभावित उपलब्धि १.८५ लाख टन है।

२५. अब यह सभी मानने लगे हैं कि सिंचाई सुविधाओं से पूरा लाभ प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि भू व जल व्यवस्था तथा वैज्ञानिक कृषि के उन्नत तरीके अपनाये जायें। असल में पानी के अव्यवस्थित उपयोग और उसकी निकासी का समुचित प्रबन्ध न करने से पानी के रिसाव (वाटर लोगिंग) की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे उत्पन्न खारापन (Salinity and alkalinity) भूमि को अपार क्षति पहुँचाता है। चम्बल क्षेत्र में अभी से ही पानी के रिसाव की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। इन समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों की राय जानने के उद्देश्य

(श्री मथुरादास माथुर)

से सरकार ने संयुक्तराष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता ली और चम्बल और राजस्थान नहर क्षेत्रों में विशेष प्रोजेक्ट कायम किये। इन विशेष प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हो गया है और चौथी योजना के बाकी सालों में उनकी सिफारिशों पर अमल करने की पूरी कोशिश की जायेगी, जिसके लिये भारत सरकार की सलाह से व्यापक फोलो अप प्रोग्राम (Follow-up programme) तैयार कर लिया गया है। इस कार्य में भारत सरकार भी हमारी मदद कर रही है और राजस्थान नहर क्षेत्र में उसने एक प्रोजेक्ट कायम करने की मंजूरी दे दी है और चम्बल क्षेत्र में एक अन्य ऐसे प्रोजेक्ट की मंजूरी जल्दी मिल जाने की उम्मीद है। सिंचाई के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकने के लिये इन क्षेत्रों के विकास में बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने की आवश्यकता है और इसलिये हम विश्व बैंक के मार्फत अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय साधन प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील हैं। हमने राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास के लिये विस्तृत स्कीमें तैयार की हैं, जिनमें नहर निर्माण तथा क्षेत्र का विकास दोनों ही सम्मिलित हैं। चम्बल क्षेत्र के लिये भी ऐसी स्कीमें शीघ्र तैयार करली जायेंगी।

२६. आज के युग में कृषि का विकास आधुनिक टेक्नोलोजी के प्रयोग पर निर्भर है, जिनके लिये बड़े पैमाने पर पूंजी नियोजन की आवश्यकता है। पूंजी की इस बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिये हम लगातार कोशीश करते रहे हैं कि एग्रोकलचर री-फाइनेंन्स कोर्पोरेशन और एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कोर्पोरेशन जैसी वित्तीय एजेन्सियों से अधिकतम सहायता प्राप्त की जाये। कृषि विकास की कई विशेष स्कीमें तैयार कर के इन दो वित्तीय संस्थाओं को भेज दी गई हैं। एग्रीकल्चर रि-फाइनेन्स कोर्पोरेशन के पास भेजी गई स्कीमें लगभग १२.५५ करोड़ की हैं और एग्रीकल्चर फाइनेन्स कोर्पोरेशन के पास भेजी गई स्कीमें १३.५० करोड़ की हैं इनमें से एग्रीकल्चर रि-फाइनेन्स कोरपोरेशन ने ८.३० करोड़ की दस स्कीमों की मन्जूरी दे दी है। यह स्कीमें इटावा और सांगोद जिला कोटा, नदबई और राजाखेड़ा जिला भरतपुर, कठूमर व राजगढ़ जिला अलवर, गोविन्दगढ़ व शाहपुरा जिला जयपुर, और टोंक व सवाईमाधोपुर में क्रियान्वित की जा रही हैं। चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के लिये ११.८० करोड़ के लागत की विस्तृत क्षेत्रीय विकास योजना की स्वीकृति शीघ्र ही मिलने की आशा है। अगले वर्ष छोटे सिंचाई, भूमि को समतल बनाने और फलों का उत्पादन बढ़ाने की कई विशेष योजनायें उपयुक्त वित्तीय एजेन्सियों के पास भेजने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि के लिये ऋण की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है और इनके द्वारा अब तक ६ करोड़ रुपये के ऋण दिये जा चुके हैं जो अगले वर्ष बढ़कर १७ करोड़ हो जाने की आशा है।

२७. अब तक कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीक का अधिक लाभ बड़े कृषकों को ही मिला है और जिसके फलस्वरूप हरित क्रांति से कुछ हद तक धनी किसानों और छोटे व भूमिहीन किसानों के बीच खाई और भी चौड़ी हो गई है। यह खतरनाक प्रवृति है और अगर इस रुख को यहीं नहीं रोका तो स्वाभाविक है कि इससे समाज में तनाव पैदा होगा। इसके अलावा छोटे किसानों को कृषि के आधुनिक तरीके अधिकाधिक अपनाने

(श्री मथुरादास माथुर)

के लिये प्रोत्साहित नहीं किया गया तो हरी क्रांति नि तर प्रगति नहीं कर पायेगी और न उसको वांछित सफलता मिल सकेगी। इस समस्या को मद्दे नजर रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने छोटे किसान, मारजीनल किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिये देश भर में पाइलट प्रोजेक्ट कायम करने की स्वीकृति दी है। हमारे राज्य में छोटे किसानों के लिये भरतपुर, अलवर और उदयपुर में ऐसे तीन प्रोजेक्ट शुरू किये जा चुके हैं। इसी प्रकार भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में मारजीनल किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिये स्कीमें तैयार करली गई हैं। छोटे किसानों की योजनाओं के लिये प्रत्येक जिले को चौथी योजनाकाल में १.५० करोड़ का अनुदान दिया जायगा और मारजीनल एवं भूमिहीन किसानों को प्रत्येक योजना में इसी प्रकार १ करोड़ का अनुदान दिया जायेगा। इस अनुदान के फलस्वरूप वित्तीय संस्थाओं से अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो सकेंगे और दोनों योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में चौथी पांच साला योजना के दौरान करीब ७ करोड़ का पूंजी नियोजन होगा। अगले वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों पर तेजी से काम चलेगा और उनसे प्राप्त अनुभव के आधार पर इस प्रकार की अन्य स्कीमें तैयार की जायेंगी।

२८. केन्द्रीय सरकार द्वारा सूखाग्रस्त इलाकों के लिये एक और महत्वपूर्ण स्कीम रूरल वर्क्स प्रोग्राम स्वीकृत की गई है। यह स्कीम जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, चूरू, बीकानेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य बार-बार सूखे से प्रभावित इलाकों की समस्याओं का स्थायी हल ढूंढना है और साथ ही साथ इन इलाकों के लिये रोजगार मुहैय्या करना है। इस स्कीम के तहत चौथी योजना के बाकी वर्षों में प्रत्येक जिले में २ करोड़ की धनराशि खर्च की जायेगी। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत विशेषकर अकाल में शुरू किये गये अधुरे सड़क निर्माण और छोटे सिंचाई कार्य पूरे किये जाने पर बल दिया जायेगा। इसके अलावा नये छोटे और मध्यम सिंचाई कार्य, वनों और चरागाहों का विकास और ग्रामीण जलप्रदाय की योजनायें हाथ में ली जावेंगी। आशा है कि इस प्रोग्राम पर अमल करने से इस राज्य के सबसे अधिक सूखाग्रस्त होने वाले इलाकों में अकाल के प्रभाव और उसकी विषमता को कम किया जा सकेगा।

२६. कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्नों की ज्यादा पैदावार देने वाली किस्में और अन्य तकनीकी सुधार अधिकांशतः उन्हीं क्षेत्रों में लाभप्रद हो सकते हैं जहां नियमित सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परन्तु हमारे राज्य के कुल बोये गये क्षेत्र के १५ प्रतिशत भाग में ही सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं, अतः केवल सिंचित खेती में ही सुधार करने से हमारी कृषि सम्बन्धी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। अतः हम केन्द्रीय सरकार पर इस बात का निरन्तर जोर देते आ रहे हैं कि वह बारानी खेती की पद्धति पर अनुसंधान करने पर अधिक ध्यान दे और बीज की ऐसी किस्में ईजाद करे जो सूखे कि स्थिति में भी पैदावार दे सकें, जिससे कि इस राज्य में कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान किया जा सके। इस सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार ने बारानी खेती के लिये एक प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी है और यह जोधपुर जिले में

(श्री मथुरादास माथुर)

कायम किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य बारानी खेती के उन्नत तरीकों को प्रदर्शित करना और इस इलाके में खेती के नये तरीकों पर अनुसंधान करना है। केन्द्रीय सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे दो और प्रोजेक्ट स्वीकृत करने का संकेत दिया है।

३०. यह भी एक मानी हुई बात है कि उन इलाकों में भी जहां समुचित सिंचाई की सुविधाएं हैं, हम उपलब्ध पानी और जमीन का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और जहां पर तीन और चार फसलें ली जा सकती हैं वहां अभी केवल एक या दो फसलें ही ली जा रही हैं। इसलिये कृषि उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि करने के लिये बहुफसली व्यवस्था (मल्टीपल क्रॉपिंग) महत्वपूर्ण भूमिका अदा करा सकती है। कम अवधि में पैदावार देने वाली किस्में और उन्नत तरीकों के विकास से सिंचित इलाकों में बड़े पैमाने पर बहुफसली व्यवस्था लागू करना सम्भव हो गया है। इस नयी तकनीक का प्रदर्शन करने और इसको किसानों में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राज्य में दो प्रोजेक्ट स्वीकृत किये हैं जिन पर अगले वर्ष कोटा और चित्तौड़ में काम शुरू किया जायेगा।

डेयरी

३१. जोधपुर डेयरी के निर्माण का कार्य सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है और आशा है कि अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक मशीनें लगाने का कार्य पूरा हो जायेगा। १९७२-७३ में यह डेयरी चालू हो जायगी और तब तक के लिये पाइलट सप्लाई स्कीम शुरू कर दी गयी है।

सहकारिता

३२. कृषि विकास के लिए, ऋण सुविधा आवश्यक है और इस सन्दर्भ में सहकारी संस्थाओं की निर्णायक भूमिका है। सहकारी संस्थाओं को और सुदृढ़ किया जायेगा और ऋण सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। अल्प और मध्यम-कालीन ऋणों के वितरण का १९७१-७२ में २३ करोड़ का रखा गया है जब कि इस वर्ष की सम्भावित उपलब्धि २०.५० करोड़ है। गुलाबपुरा में सहकारी क्षेत्र में स्पिनिंग मिल के निर्माण का कार्य तेज़ी से चल रहा है और आशा है कि अगले वर्ष इसमें उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। इस संस्था को अतिरिक्त हिस्सा पूंजी देने के लिए योजना में १० लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

३३. पिछले दो वर्षों में राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन ने अपने व्यापार और भण्डार व्यवस्था में वृद्धि करने में आशातीत सफलता प्राप्त की है। इस कोरपोरेशन को १९६९-७० में १७.१४ लाख का लाभ हुआ है, जो अपने आप में एक रेकार्ड है। इसके मुकाबले इस वर्ष २९.९८ लाख का कुल लाभ होने की सम्भावना है। १९६९-७० में कारपोरेशन ने ७ प्रतिशत डिविडेन्ड की घोषणा की और उसने अपने सब कर्मचारियों को २० प्रतिशत की दर से बोनस दिया। इसकी भण्डार क्षमता १९६८-६९ में २५,२०० टन से बढ़ कर इस वित्तीय वर्ष में ७३,२०० टन हो गयी है।

सिंचाई

३४. राजस्थान नहर और चम्बल जैसी बृहद् सिंचाई योजनाओं पर कार्य प्रगति जारी रहेगी जिसके लिए योजना में आवश्यक

(श्री मथुरादास माथुर)

प्रावधान रखा गया है। चालू छोटी और मध्यम सिंचाई योजनाओं पर काम तेज कर उनको जल्दी पूरा करने की कोशिश की जायेगी और जयसमन्द फीडर, पंचाना, संगेश्वरा और टोरडीसागर फीडर, चार नई मध्यम सिंचाई योजनाओं पर अगले वर्ष कार्य प्रारम्भ किया जायगा। इसके अलावा नयी लघु सिंचाई योजनाओं को शुरू करने के लिए सालाना योजना में ८० लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

विद्युत्

३५. बिजली की स्थिति में अगले वर्ष और अधिक सुधार होगा। बिजली की खपत १६७०–७१ के ६१४ मिलियन यूनिट्स से बढ़ कर आगामी वर्ष में १०७० मिलियन यूनिट्स तक पहुँच जाने की उम्मीद है। बिजली की अधिक उपलब्धि एवं वित्तीय संस्थाओं से अधिक साधन प्राप्त होने के फलस्वरूप ग्रामीण विद्युतीकरण की और अधिक ध्यान दिया जायेगा। इस वर्ष के दस हजार कुओं को बिजली देने के लक्ष्य और १२५०० कुओं के विद्युतीकरण की सम्भावित उपलब्धि के मुकाबले, अगले वर्ष २०००० कुओं को बिजली देने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त ६०० नई बस्तियों को अगले वर्ष बिजली दी जावेगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोरपोरेशन से अगले वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरणके लिये कम से कम ५ करोड़ की वित्तीय सहायता मिलने की आशा है, जो राज्य की योजना में इस कार्य के लिए रखी गई धनराशि के अतिरिक्त होगी। साथ ही एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कोरपोरेशन एवं व्यावसायिक बैंकों से भी अधिकाधिक मात्रा में वित्तीय साधन जुटाने के भरसक प्रयत्न किए जायेंगे। राजस्थान में कई तहसील, सब तहसील और पंचायत समिति मुख्यालयों तथा म्युनिसिपल कस्बों में अभी तक बिजली की सुविधा नहीं है। अतः राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी स्थानों पर बिजली पहुंचा दी जावे। आशा है कि इनमें से अधिकांश स्थानों पर बिजली लगाने का काम अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा हो जावेगा।

उद्योग एवं खनिज

३६. मैंने गत वर्ष अपने बजट भाषण में औद्योगीकरण से सम्बन्धित क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली योजना का जिक्र किया था। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने राज्य के १६ जिलों को चुना है जहां नये उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं से रियायती दरों पर सहायता मिलेगी। यह जिले हैं:—जालौर, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर झुंझुनू, टोंक अलवर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर और बाड़मेर ये रियायतें मुख्यतः आसान किश्तों में कर्ज की अदायगी, ब्याज की दर एवं इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कोरपोरेशन द्वारा हिस्सा पूंजी में भागीदारी के रूप में होंगी। उपरोक्त १६ जिलों में से दो जिलों में नये उद्योग स्थापित करने वालों को ५० लाख तक के विनियोजन पर १० प्रतिशत का अनुदान अन्य रियायतों के अतिरिक्त दिया जायेगा। इन दो जिलों का चयन अभी योजना आयोग के विचाराधीन है।

३७. माननीय सदस्यों को याद होगा, राज्य सरकार टोंक में लेदर टेनरी की स्थापना के लिये काफी समय से प्रयत्नशील

Page No 13

(श्री मथुरादास माथुर)

है। मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी है कि इस फैक्ट्री के लिये भारत सरकार से लाइसेन्स प्राप्त हो गया है और विदेशी सहयोग की शर्तों को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है। भारत सरकार ने मशीनें आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा की भी स्वीकृति दे दी है। आशा है कि अगले वर्ष के अन्त तक इस फैक्ट्री पर भवन निर्माण और मशीनें लगाने का काम पूरा हो जायेगा। डीडवाना स्थित सोडियम सल्फेट प्लाण्ट की २० टन से ४० टन क्षमता बढ़ाने का काम भी पूरा हो गया है। नई यूनिट में इस समय परीक्षण का काम चालू है और आशा है कि अगले वर्ष यह नियमित रूप से काम करने लगेगी।

३८. खनिज के क्षेत्र में उदयपुर के निकट फोस्फेट के भण्डार के पूर्वेक्षण (प्रॉस्पेक्टिंग) एवं खनन को प्राथमिकता दी जायेगी। इन सभी भण्डारों के पूर्वेक्षण का कार्य अगले साल के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट आते ही बेनीफिसियेशन प्लाण्ट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। १९७१ के अन्त तक फोस्फेट का उत्पादन वर्तमान ८०० टन प्रतिदिन से बढ़कर १५०० टन प्रतिदिन हो जाने की उम्मीद है। सलादीपुरा जिला सीकर के पास पाइराइट्स के विपुल भण्डार का पता लगा है और पाइराइट्स और रोक फास्फेट पर आधारित एक बड़ा रासायनिक खाद का कारखाना राज्य में लगने की सम्भावना है। इसके लिये केन्द्र की चौथी योजना में सांकेतिक प्रावधान कर दिया गया है।

सड़कें

३९. अगले वर्ष में सड़कों के लिये २.७५ करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसमें नई सड़कों के निर्माण के लिये १.२५ करोड़ का प्रावधान शामिल है। शेष रकम चालू कार्यों पर व्यय की जावेगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार से भी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान नहर क्षेत्र में सड़कों एवं मण्डियों के विकास हेतु ५० लाख रुपये तथा राष्ट्रीय मार्गों के लिये १.५० करोड़ मिलने की सम्भावना है।

शिक्षा

४०. अगले वर्ष शिक्षा क्षेत्र के प्रस्तावों में विस्तार और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताओं के बीच सन्तुलन रखने का प्रयत्न किया गया है। सालाना योजना में पंचायत समितियों द्वारा चलाई जा रही ६० मिडिल स्कूलों को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेने के अतिरिक्त ३० नई प्राइमरी स्कूलें खोले जाने और ३०० प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है। ५० मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में क्रमोन्नत करने और १० हाई स्कूलों को हायर सैकेण्डरी स्कूल बनाने का प्रस्ताव है। अगले वर्ष ३ नये कॉलेज खोले जायेंगे—भीलवाड़ा और भरतपुर में लड़कियों के लिये और सवाई माधोपुर में लड़कों के लिये। पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए विभिन्न कॉलेजों में ६ पोस्ट-ग्रेजुएट्स विषय खोलने का इरादा है। इनके अतिरिक्त ३ कॉलेजों में एल. एल. बी. कक्षाएं शुरू की जायेंगी। इसके साथ ही कालेजों में डिग्री स्तर के ६ नये विषय भी खोले जायेंगे।

(श्री मथुरादास माथुर)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

४१. माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले बजट भाषण में मैंने सरकार के उस निर्णय की घोषणा की थी जिसके अनुसार अक्टूबर १९७१ तक सभी जिला अस्पतालों में कम से कम निर्धारित स्तर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की जानी थी। इस कार्य के लिये बजट में ४० लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस स्कीम के तहत अस्पतालों में १-१०-१९७१ से रोगी शैय्याओं की संख्या बढ़ाकर इस प्रकार कर दी जायेंगी:—

(१) भीलवाड़ा, डूंगरपुर, नागौर, पाली, गंगानगर, सीकर व बांसवाड़ा — १५० रोगी शैय्यायें

(२) बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जालोर, झुंझुनूं, टोंक, सवाई माधोपुर, सिरोही, जैसलमेर और चूरू — १०० रोगी शैय्यायें

(३) बारां व शाहपुरा (भीलवाड़ा) —५० रोगी शैय्यायें

४२. इससे जिला स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं में काफी सुधार होगा। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष में २५ नई डिस्पेंसरियां और १० मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। चार जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों की सेवाएं मुहैय्या करने और ३ अस्पतालों में एमरजेन्सी और केज्यूल्टी सेवायें शुरू करने के लिये प्रावधान किया गया है। एम्प्लॉईज इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत जयपुर में बने नये अस्पताल को ११३ रोगी शैय्याओं के साथ शीघ्र चालू कर दिया जायेगा।

४३. अगले वर्ष १०० नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है और मौजूदा १५ 'सी' श्रेणी के औषधालय 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत कर दिये जायेंगे। मौजूदा आयुर्वेदिक संस्थाओं में अधिक मात्रा में औषधियां उपलब्ध कराने के लिये अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।

जलप्रदाय

४४. राज्य के शहरी और देहाती इलाकों में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए अगले साल पुरजोर कोशिश की जायेगी। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक दो पंचायत समिति कस्बों सहित १९४५ कस्बों में से १११ कस्बों में जल प्रदाय योजनायें पूरी हो जायेंगी। इनके अलावा सभी २४ चालू स्कीमें अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। इस प्रकार १९७१-७२ के अन्त तक कुल १३५ कस्बों में पीने के पानी की स्कीमें पूरी हो जायेंगी रतनगढ कस्बे में एक जलप्रदाय योजना चालू है। शेष ६ कस्बों में जहां अभी कोई जलप्रदाय योजना नहीं है, वहां अगले वर्ष काम हाथ में लिया जायेगा। इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, सीकर, माउन्ट आबू, डीडवाना, दौसा और चित्तौड़गढ शहरों की चालू पुनर्गठन की योजनाओं पर काम अगले वर्ष और भी तेज किया जायगा। वाटर सप्लाई की पुनर्गठन स्कीम पर कार्य शुरू करने और इसमें तात्कालिक सुधार लाने के लिये ५० लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(श्री मथुरादास माथुर)

४५. देहाती क्षेत्रों में यह समस्या और भी व्यापक और जटिल है। इस समस्या को जल्दी ही हल करने की घोषित नीति के अनुसरण में हमने ग्रामीण जल-प्रदाय का प्रावधान इस वर्ष के २.३० करोड़ से बढा कर अगले वर्ष ३.५५ करोड कर दिया है। प्रावधान बढाये जाने के फलस्वरूप ३५ चालू स्कीमें अगले वर्ष के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है। इन चालू स्कीमों के लिये पूरे धन की व्यवस्था करने के बाद भी लगभग १.६८ करोड़ नई नल तथा क्षेत्रीय योजनायें शुरू करने के लिए उपलब्ध होंगे। पहले की तरह उन इलाकों को प्राथमिकता दी जायगी जहां पीने के पानी का कोई जरिया नहीं है और जहां अकाल में दिक्कत महसूस होती है। इसके अतिरिक्त रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्रामीण जल प्रदाय के लिये १ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। अगले वर्ष पीने के पानी के कुओं के निर्माण और मरम्मत पर ५० लाख रुपया और राजस्थान नहर क्षेत्र में डिग्गियों पर ३० लाख रुपया खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।

पिछड़ी जातियों का कल्याण व समाज कल्याण

४६. पिछड़ी जाति के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता पर हम लगातार जोर देते आये हैं। हमारा दृढ विश्वास है कि जब तक पिछड़ी जातियों के लोग विकास की प्रक्रिया में हाथ नहीं बंटाते और हमारे आर्थिक एवं सामाजिक प्रयत्नों से प्राप्त लाभ में भागीदार नहीं बनते तब तक हमारे देश में सही माने में विकास नहीं हो सकेगा। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और इसको मैं दोहराना आवश्यक नहीं समझता हूं। पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये इस वर्ष के ५९.१५ लाख के प्रावधान को बढा कर अगले वर्ष ६७.२५ लाख कर दिया गया है। चालू स्कीमों के अलावा ३३ नये छात्रावास खोलने और ११ तृतीय श्रेणी के छात्रावासों को द्वितीय श्रेणी में परिवर्तन करने के लिए ६.७० लाख का प्रावधान किया गया है।

४७. मैंने कई बार पिछड़ी जाति और जन-जातियों की बस्तियों में नल और बिजली लगाये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस दिशा में बहुत कुछ काम हो चुका है परन्तु इसको और गति देने की आवश्यकता है ताकि ऐसी तमाम बस्तियों में यह सुविधाएं मुहैया की जा सकें। यह निर्णय किया गया है कि सभी चालू नयी जलप्रदाय योजनाओं में अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों की बस्तियों में सार्वजनिक नल योजना के अन्तर्गत ही लगा दिये जायेंगे। इसी प्रकार बिजली की लाइनें भी स्कीम के अन्तर्गत ही राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ऐसी बस्तियों में पहुंचा दी जायेंगी। जिन कस्बों और गांवों में पानी या बिजली की लाइनें डालने के लिये अलग से प्रावधान किया जा रहा है। पिछड़ी जातियों के कल्याण मद में सार्वजनिक नलों के लिये १५ लाख रुपये अगले वर्ष रखे गये हैं। इसी प्रकार राज्य विद्युत बोर्ड ने ऐसी सभी बस्तियों में बिजली की लाइनें डालने का निश्चय किया है और अगले वर्ष इसके लिये २५ लाख का प्रावधान रखा है।

४८. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले अनुसूचित जाति और जन-जाति के छात्रावासों को राज्य सरकार आठवीं कक्षा

Page No 16

(श्री मथुरादास माथुर)

तक के छात्रों के लिये ४० रुपया प्रति माह और ९,१० और ११वीं कक्षा के लड़कों के लिये ४५/— रुपया प्रति माह की दर से अनुदान देती है। अब प्रस्ताव है कि इस अनुदान की दर बढ़ा कर ४० से ५५ रुपये और ४५ से ६० रुपये प्रति माह कर दी जाये। इसके लिये बजट में दिखाये प्रावधान के अतिरिक्त १० लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

४९. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये विभिन्न राजकीय सेवाओं में स्थान सुरक्षित रखने की संवैधानिक गारंटी का पूरा फायदा इसलिये नहीं मिल रहा है कि एक तो इन लोगों को नौकरियों के अवसरों की जानकारी नहीं होती और दूसरा कम्पीटीटिव परीक्षाओं के लिये उनको तैयार करने की कोई सुविधा नहीं हैं। इस समस्या को हल करने के लिये केन्द्र सरकार ने एक केन्द्रीय संचालित योजना स्वीकृत की है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थियों को राज्य की सेवाओं की कम्पीटीटिव परीक्षाओं तथा संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेन्ट्स, स्टेनोग्राफर जैसी अन्य परीक्षाओं के लिये तैयार करने के लिये एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा। हम इस योजना पर अगले वर्ष से अमल करेंगे और इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर उसमें अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं के लिये तैयारी भी सम्मिलित की जायेगी। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार राज्य योजना से अधिक धनराशि इस योजना में लगायेगी। यह निश्चय किया गया है कि यह केन्द्र एच. सी. माथुर इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्थापित किया जायेगा जहां पर्याप्त सुविधायें पहले से ही उपलब्ध हैं।

५०. कमजोर तबके के बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष एक विशेष स्कीम की मन्जूरी दी है। अनुसूचित जन-जाति प्रधान इलाकों और बड़े शहरों की गन्दी बस्तियों के बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैय्या करना ही इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। यह स्कीम जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा शहरों तथा बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अनुसूचित जन-जाति प्रधान इलाकों में क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम पर अमल करने के उद्देश्य से शहरी इलाकों में ३५ स्थानों पर और अनुसूचित जन-जाति प्रधान इलाकों में ८५ स्थानों पर भोजन केन्द्र खोले गये हैं और अभी १५ हजार बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में इस स्कीम के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि ६ वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं (Nursing Mothers) को इसका लाभ पहुँचाया जा सके। १९७१-७२ में ७५ हजार बच्चों और स्त्रियों को इसका लाभ मिलने की आशा है।

५१. समाज कल्याण के क्षेत्र में चिल्ड्रन एक्ट को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से २.६५ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के लिये विशेष अदालतें, ऑब्जरवेशन होम, विशेष स्कूल और बालगृह आदि स्थापित किये जायेंगे। यह प्रोग्राम सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बालिग समाज की बहुत कुछ बुराइयां बच्चों की समस्याओं के प्रति

(श्री मथुरादास माथुर)

उदासीनता के कारण हैं। अगले वर्ष यह कार्यक्रम अजमेर और जयपुर जिलों में चलाया जायेगा।

गृह निर्माण और शहरी विकास

५२. आवासन बोर्ड अगले वर्ष काफी बड़ी पूंजी गृह निर्माण कार्यक्रम में लगायेगा। बोर्ड द्वारा अगले वर्ष ५.२५ करोड़ धनराशि खर्च किये जाने की आशा है, जो मुख्यतः सेन्ट्रल हाउसिंग एण्ड अरबन डवलपमेन्ट फाइनेन्स कॉर्पोरेशन, लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन, व्यावसायिक बैंकों और सार्वजनिक ऋण के मार्फत प्राप्त होगी। राज्य योजना में १३.५० लाख का प्रावधान रखा गया है जिसमें से १०लाख रुपया हिस्सा पूंजी के लिये और ३.५० लाख रुपया प्रशासनिक कार्यों के लिये अनुदान के रूप में दिया जायेगा। बोर्ड ने राज्य के विभिन्न शहरों में ९२४ मकान बनाने के लिये टेन्डर्स आमन्त्रित कर लिये हैं। इन मकानों पर कार्य बहुत जल्दी ही शुरू कर दिया जायेगा। इनमें से लगभग ८२८ मकान छोटी आय वाले लोगों के लिये तथा ९६ मकान मध्यम आय वाले वर्ग के लिये होंगे। अगले वर्ष राज्य के विभिन्न शहरों एवं कस्बों में ४५०० मकान बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें से ३४०० मकान छोटी आय वाले लोगों के लिये तथा शेष ११०० मकान मध्यम आय वाले लोगों के लिये होंगे।

५३. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि नगरपालिकाएं पर्याप्त साधनों के अभाव में सड़कों की आवश्यक देख-भाल व मरम्मत नहीं कर पा रही हैं और इस कारण से नगरीय क्षेत्रों में सड़कों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। इस वर्ष इस कार्य के लिये २६ लाख अनुदान दिया गया है। इसे बढ़ा कर अगले वर्ष ५० लाख रुपया कर दिया गया है जो सड़कों के सुधार के अलावा नालियों के निर्माण में भी उपयोग किया जायेगा।

बेरोजगारी की समस्या

५४. बेरोजगारी की समस्या हम सबके लिये बड़ी चिन्ता का विषय है। माननीय सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा गत वर्षों में विशेषतः टेक्निकल और प्रोफेशनल योग्यता प्राप्त युवकों में बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिये उठाये गये कदमों की जानकारी है। इनका असर अब तक सीमित हो रहा है। इस देशव्यापी समस्या का समाधान अधिक पूंजी नियोजन और सर्वव्यापी आर्थिक प्रगति से ही हो सकता है। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और इस बीच में हमें कुछ उपाय ढूंढ़ने होंगे। मैं अब उन कुछ उपायों का जिक्र करना चाहूंगा जिन पर हम अगले वित्तीय वर्ष में अमल करना चाहते हैं।

५५. इन्जीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त लोगों में यह समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है। सरकार ने राजस्थान के प्रमाणित निवासी (बोनाफाइड रेजोडेन्ट्स) बेकार सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग के १००० स्नातक व डिप्लोमा प्राप्त लोगों का एक पूल बनाने का निश्चय किया है। इस पूल में प्रत्याशियों का चयन उनके द्वारा अन्तिम परीक्षाओं में प्राप्त मार्क्स के आधार पर किया जायेगा तथा इन लोगों को राज्य सरकार के विभिन्न इन्जीनियरिंग विभागों में वर्कचार्ज के आधार पर एप्रेन्टिस इंजीनियर एवं सबोर्डिनेट्स के

(श्री मथुरादास माथुर)

पद 'पर' लगाया जायेगा। प्रत्येक ग्रेजुएट इन्जीनियर को २५०/- रुपया तथा डिप्लोमा होल्डर को १५०/-रुपया प्रति माह स्टाईपेन्ड (वजीफा) के रूप में दो वर्ष तक दिया जायेगा। यह उम्मीद की जाती है कि इस दौरान इन लोगों को आवश्यक अनुभव प्राप्त हो जाने से सरकार या अन्य संस्थानों में रोजगार मिल जायेगा अथवा, वे कोई खुद धन्धा शुरू कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एग्रो इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के सहयोग से एग्रो सर्विस सेन्टर्स की स्थापना की जायेगी जिनमें बेकार इन्जीनियर्स को काम पर लगाया जा सकेगा। ये केन्द्र ट्रैक्टर्स, पम्प्स एवं अन्य कृषि-यन्त्रों की मरम्मत आदि के लिये निगम के एजेन्ट्स के रूप में कार्य करेंगे तथा इनकी प्रारम्भिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कॉर्पोरेशन इनको व्यवसायिक बैंकों से कर्ज दिलाने की व्यवस्था करेगी। इन केन्द्रों में कार्य करने वाले इन्जीनियर्स एवं डिप्लोमा होल्डर्स को भी दो वर्ष तक क्रमशः २५०/-रु० एवं १५०/-रु० प्रति माह स्टाइपेन्ड दिया जायेगा। हम वर्तमान प्रक्रिया में ऐसे संशोधनों पर भी विचार कर रहे हैं जिससे इन्जीनियर्स को सार्वजनिक निर्माण विभाग से अर्नेस्ट मनी एवं टेन्डर्स आदि की औपचारिकताओं के बिना ही काम मिल जाया करे।

५६. डॉक्टरों में अभी तक बेकारी की कोई खास समस्या नहीं थी। परन्तु अगले वर्ष इस वर्ग में भी हमें इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टरों को सरकारी नौकरी सीमित संख्या में ही मिल सकती है और इसलिये उन्हें रोजगार के लिये प्राइवेट प्रेक्टिस का सहारा लेना पड़ेगा जिसकी अधिक सम्भावनायें अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा वाले क्षेत्रों में है। हम डॉक्टरों को ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने के लिये प्रोत्साहन देना चाहते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और साथ ही इन इलाकों में चिकित्सा की आवश्यक सुविधाएं मुहैय्या करायी जा सकें। अतः डॉक्टरों को निर्धारित क्षेत्रों में रोजगार ढूंढ़ने एवं कार्य करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया है। डॉक्टरों को पहले साल २५०/- रुपया प्रति माह एवं दूसरे साल २००/- रुपया प्रति माह स्टाइपेन्ड के रूप में दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें उपकरण आदि खरीदने के लिये एक बार २०००/- रुपये तक कर्ज भी दिया जायेगा।

५७. पशु चिकित्सकों के लिये अपने आप रोजगार प्राप्त करने की बहुत कम संभावना है क्योंकि अभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है जिसमें वे निजी प्रेक्टिस करके जीवन निर्वाह कर सकें। इस वर्ग के लोगों में बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार में ही अधिक नौकरियां उपलब्ध करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हमारे मौजूदा अनुमानों के अनुसार इस समय राज्य में १०० के करीब वेटेरिनरी ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। १९७१-७२ की सालाना योजना में हमने २६ वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जनों और ६ वेटेरिनरी असिस्टेन्ट्स के नये पद स्वीकृत किये हैं। इसके अलावा विभाग में सेवा निवृत्तियों से ६ स्थान और उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्रकार ३८ वेटेरिनरी ग्रेजुएटों के लिये रोजगार की सुविधा हो जायेगी। इनके लिये और पद स्वीकृत करने की दृष्टि से यह तय किया गया है कि पशुपालन विभाग द्वारा चलायी जाने वाली अपग्रेडेड डिस्पेन्सरियों को अस्पतालों में परिवर्तित कर दिया जाये और इन

(श्री मथुरादास माथुर)

अस्पतालों में वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जनों को इन्चार्ज बना कर लगाया जाय। राज्य में अभी ऐसी ६४ डिस्पेन्सरियां हैं और इनमें से ७ डिस्पेन्सरियों को १९७१-७२ की सालाना योजना में अस्पतालों में परिणित करने की स्वीकृति दे दी गई है। शेष ५७ डिस्पेंसरियों को अस्पतालों में बदल दिया जायेगा जिसके लिये अगले वर्ष ३ लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। इस अतिरिक्त व्यय का पशुपालन विभाग की सालाना योजना सीमा में ही समावेश कर लिया जायेगा। इन प्रयत्नों से उम्मीद है कि राज्य में तमाम बेरोजगार ग्रेजुएट्स के लिये काम की व्यवस्था की जा सकेगी।

५८. माननीय सदस्यों को याद होगा, मैंने अपने पिछले बजट भाषण में अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में पास होने वाले ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट युवकों को वजीफा देने की स्कीम की घोषणा की थी। वजीफा पोस्ट ग्रेजुएट्स को १५०/- रुपया प्रति माह एवं ग्रेजुएट्स को १००/- रुपया प्रति माह की दर से एक वर्ष के लिये अथवा जब तक उन्हें नौकरी न मिल जाय, जो भी पहले हो, उस समय तक देना था। इस समस्या के सामाजिक पहलुओं को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया है कि इस कार्य के लिए और विस्तृत योजना प्रारम्भ की जाये। अतः यह निश्चित किया गया है कि समस्त अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के ग्रेजुएट्स व पोस्ट ग्रेजुएट्स का एक केन्द्रीय पूल बनाया जाये और उन्हें क्रमशः २५०/- तथा १५०/- रुपया प्रति-माह की दर से वजीफा दिया जावे। इन लोगों को अधिक से अधिक संख्या में उचित पदों पर सरकारी नौकरी दिलाने के लिये राज्य सरकार भरसक प्रयत्न करेगी एवं जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती उस समय तक राज्य सरकार राज्य के विभिन्न विभागों में उन्हें काम पर लगायेगी ताकि उन्हें सरकारी कार्य का कुछ अनुभव हो सके। पूल के सदस्यों को वजीफा उन्हें रोजगार मिलने तक दिया जाता रहेगा।

५९. १९७१-७२ की योजना में उपरोक्त स्कीमों के लिये २० लाख का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ेगा।

६०. ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने १ अप्रैल, १९७१ से एक क्रेश प्रोग्राम प्रारम्भ करने की घोषणा की है जो आने वाले एक बड़े और विस्तृत प्रोग्राम की शुरूआत है। इस कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्रति वर्ष ५० करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जिससे देश के प्रत्येक जिले में लगभग १,००० व्यक्तियों को दस महीनों के लिये ऑफ सीजन मजदूरी की दर पर १०० रुपया प्रति माह तक, जन उपयोगी कार्यों जैसे—सड़कों एवं इमारतों की मरम्मतें भू-संरक्षण, ड्रेनेज, लघु सिंचाई की योजना आदि में लगाया जायेगा। राजस्थान में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चतुर्थ योजना के दौरान ३.१ करोड़ प्रति वर्ष खर्च होने का अनुमान है।

सार्वजनिक नलों द्वारा पानी की सप्लाई

६१. माननीय सदस्यों को याद होगा कि नगरपालिकाओं पर सार्वजनिक नलों से संबंधित पानी के शुल्क की बकाया ४.०७ करोड़ की वसूली राज्य सरकार ने १९६७-६८ में मंसूख कर दी थी साथ ही पानी

(श्री मथुरादास माथुर)

की दर इस आशा से ५० प्रतिशत घटा दी गई थी कि नगरपालिकायें नियमित रूप से पानी शुल्क अदा करेंगी। यह आशा पूरी नहीं हुई और ३०-९-७० तक २.२० करोड़ बकाया फिर जमा हो गई है। माननीय सदस्य यह मानेंगे कि नगरपालिकाओं की माली हालत इतनी कमजोर है कि वे इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी हालत में सरकार ने फैसला किया है कि तमाम बकाया राशि की वसूली मंसूख कर दी जावे और आगे से सार्वजनिक नलों पर पानी की सप्लाई निःशुल्क कर दी जावे। इसी प्रकार सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं में भी सार्वजनिक नलों पर पानी की सप्लाई पर कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा और जहां कहीं भी निजी नलों से होने वाली आय से स्कीम चलाने का खर्चा पूरा नहीं होगा, वहां सरकार आवश्यक अनुदान देकर स्कीम को चालू रखेगी।

९२. सरकार द्वारा सार्वजनिक नलों से निःशुल्क पानी देने के निर्णय के साथ ही साथ, यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे नलों की संख्या पर नियन्त्रण रखा जाये और आगे से एक हजार जनसंख्या पर एक सार्वजनिक नल के आधार पर ही नये सार्वजनिक नलों की स्वीकृति दी जायेगी। इसके बावजूद सभी कमजोर तबकों की बस्तियों और खास तौर पर अनुसूचित-जातियों और जन-जातियों की बस्तियों में सार्वजनिक नल लगाने को प्राथमिकता दी जाती रहेगी। सार्वजनिक नलों से मुफ्त पानी देने का फैसला हमारी कमजोर तबकों को मदद करने की घोषित नीति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

जलप्रदाय योजनाओं में जन सहयोग

९३. मैंने सरकार के उन प्रयत्नों का पहले ही जिक्र कर दिया है जिनके जरिये हम देहातों में पीने के पानी की कमी को दूर करना चाहते हैं। मगर ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं की मन्जूरी देने में हमें जन सहयोग की वर्त्तमान शर्तों के कारण कठिनाई आ रही है—खास कर उन क्षेत्रों के लिये जहां समाज के गरीब तबके के लोग बसते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से जन-सहयोग के प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया है यह इसलिये और भी जरूरी हो गया कि रेगिस्तानी इलाकों में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय योजनाओं को हाथ में लेने का प्रस्ताव है जिनसे ऐसे गांवों के समूह में पेय जल की व्यवस्था की जा सकेगी जहां अभी कोई स्रोत नहीं हैं। क्षेत्रीय स्कीमों के लिये नयी नीति के अनुसार इसके लिये जन-सहयोग आवश्यक नहीं होगा। इसी प्रकार नल योजनाओं के लिये १० रेगिस्तानी जिलों जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जालौर, पाली, सीकर और झुंझनूं और डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों व चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों के अनुसूचित जनजाति प्रधान क्षेत्रों से कोई जन-सहयोग नहीं मांगा जायेगा। बाकी क्षेत्रों में जन-सहयोग वर्त्तमान में स्कीम के अनुमानित व्यय के ५ प्रतिशत के बजाय २½ प्रतिशत ही लिया जायेगा। इस नयी नीति के फलस्वरूप नयी क्षेत्रीय व नल योजनाओं को चालू करने में बहुत सहूलियत हो जायगी—खासकर रेतीले और ऐसे इलाकों में जहां अनुसूचित जनजाति के लोग बसते हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

पेन्शनर्स को चिकित्सा सुविधा

६४. राज्य सेवा से निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ऐसे समय में जब कि उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अतः राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि राजस्थान सरकार की सेवा से रिटायर हुए कर्मचारियों को और उनकी पत्नियों को राजकीय अस्पतालों में वे ही सुविधाएं उपलब्ध होती रहेंगी जो उन्हें रिटायर होने से पहले मिलती थीं। दूसरे शब्दों में ऐसे पेन्शनर और उनकी पत्नियों को अस्पतालों में मुफ्त जांच-पड़ताल, क्युबिकल, कॉटेज और डिलक्स वार्ड की सुविधाएं दी जावेंगी, यदि वे रिटायर होने से पहले इन सुविधाओं के हकदार थे। परन्तु उनकी दवाइयां और घर पर डॉक्टरों से इलाज कराने में लगने वाली फीस आदि पर होने वाले खर्च की पूर्ति सरकार द्वारा नहीं की जावेगी।

पेन्शन निर्धारण का नया सिद्धान्त

६५. सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य कर्मचारियों की पेन्शन निर्धारित करने का आधार उनको मिलने वाला अन्तिम वेतन जिसमें महंगाई वेतन भी शामिल है, होगा। इसके पहले पेन्शन की रकम कर्मचारियों द्वारा सेवा के अन्तिम तीन वर्षों में उठायी गयी तनख्वाह के औसत पर तय की जाती थी। नयी प्रणाली अपनाने से पेन्शन के कागजात तैयार करने की विधि और उसका हिसाब-किताब काफी सरल हो जायगा। इससे पेन्शन के मामलों का निपटारा भी जल्दी हो सकेगा। देश में राजस्थान ही पहला राज्य है जिसने यह नया सिद्धांत अपनाया है।

शहरी संपत्ति पर सीलिंग

६६. शहरी संपत्ति पर सीलिंग प्रगतिशील आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम इस सम्बन्ध में अपने दृढ़ निश्चय को दोहराना चाहेंगे। इस विषय के कानूनी और व्यवहारिक पहलुओं की जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना की थी और उसकी सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों को भेजा था। हालांकि शहरी संपत्ति पर सीलिंग का मामला राज्यों की विधान सभाओं के कानूनी दायरे में आता है, किन्तु हमारी मान्यता है कि पूरे देश के लिये लोकसभा द्वारा एक समान कानून बनाना ज्यादा उपयुक्त होगा। ऐसे केन्द्रीय कानून का लाभ यह होगा कि परिवारों की देश के किसी भी भाग में स्थित संपत्ति को कर की मात्रा तय करने और शहरी संपत्ति पर सीलिंग लागू करने के लिये एकजाई रूप से देखा जा सकेगा। संपत्ति का मूल्य आंकने, टैक्स लगाने व सार्वजनिक उपयोग के लिये प्राप्त की गयी संपत्ति का मुआवजा देने का आधार सारे देश के लिये एकसा हो सकेगा। इसलिये हम केन्द्रीय सरकार को सूचित कर रहे हैं कि हम इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाने के पक्ष में हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उपयुक्त समय पर लोकसभा को इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार सौंपने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करने में अपना पूरा सहयोग देंगे।

उद्योगों के संचालन में मजदूरों का योगदान

६७. राज्य सरकार इस बात की अहमियत को महसूस करती है कि उद्योगों के

(श्री मथुरादास माथुर)

संचालन में मजदूरों का योग ज्यादा से ज्यादा हो। मजदूरों को यह अहसास कराया जाना जरूरी है कि वे उद्योगों में केवल वेतनभोगी कर्मचारी ही नहीं बल्कि उनके संचालन में भी साझेदार हैं। हमारी यह मान्यता है कि इस योगदान से न केवल उद्योगों में कुशलता बढ़ेगी बल्कि इससे मजदूरों और संचालकों के सम्बन्धों में भी सुधार होगा। इस दिशा में पहल करने के उद्देश्य से सरकार ने निश्चय किया है कि राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और गंगानगर शुगर मिल्स में इन्हीं संस्थानों में काम करने वाले मजदूरों में से दो-दो डाइरेक्टर नियुक्त किये जायं। इन उद्योगों के सभी मजदूर गुप्त मतदान द्वारा अपने आप में से अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और चुने हुए प्रतिनिधि सरकार द्वारा इन संस्थानों के संचालक मण्डलों पर नियुक्त किये जायेंगे। आशा की जाती है कि निजी उद्योग भी हमारे इस कदम का अनुसरण करेंगे।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का नियमन

६८. माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्य सरकार का हमेशा से यह प्रयत्न रहा है कि भूमिहीनों को जल्दी से जल्दी खेती के लिये जमीन दिलाई जाये। इसी वजह से भूमिहीनों द्वारा राज्य की कृषि योग्य पड़त भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामलों के प्रति उदारता बरती गई है और यह आदेश दिये गये कि ३१-१२-६६ तक किये गये ऐसे अतिक्रमण के मामले लगान का ३५ गुणा जुर्माना वसूल कर नियमित कर दिये जायें। इस पर पुनर्विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि उपनिवेशन क्षेत्र के अलावा सभी क्षेत्रों में भूमिहीनों द्वारा १-१-७१ तक किये गये अतिक्रमण बगैर कोई जुर्माना वसूल किये नियमित कर दिये जाये, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति के पास सारे राज्य में कुल भूमि नियमित किये गये रकबे को जोड़कर १५ बीघा से अधिक न हो। इसके साथ यह भी निर्णय किया गया है कि १-१-१९६६ के बाद हुए ऐसे मामलों के नियमन में वसूल की गई राशि संबंधित व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी के बकाया लगान अथवा भविष्य में लगान के पेटे समायोजित (एडजस्ट) कर ली जायेगी। इस वक्त जो भी मामले विचाराधीन हैं, वे उपरोक्त नीति के आधार पर निपटाये जायेंगे।

कृषि कार्यों के लिये मेन लाइनें डालने के लिये गारन्टी

६९. राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अभी कृषि कार्यों के लिये साधारणतः बिजली की मेन लाइनें तभी डाली जाती हैं जब उस पर नियोजित पूंजी पर १५ प्रतिशत या इससे अधिक लाभ (रिटर्न) मिलता हो। यदि रिटर्न इससे कम होता है तो उपभोक्ता को पांच साल के लिये उतनी ही रकम की गारंटी देनी पड़ती है जिसमें से रिटर्न कम बैठता है। बाद में बिजली का लोड बढ़ जाने पर गारंटी देने वाले उपभोक्ता को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती। यह स्थिति न्यायसंगत नहीं है और इससे कुओं पर बिजली लगाने के काम में रुकावट आती है। अतः यह निश्चय किया गया है कि राजस्थान बिजली बोर्ड को निर्देश दिये जायं कि गारंटी देने वाले

(श्री मथुरादास माथुर)

उपभोक्ताओं को लोड के बढ़ने पर उतने ही अनुपात में राहत दी जावे। इससे प्रभावित उपभोक्ताओं को आवश्यक मदद मिलेगी और कुओं पर बिजली लगाने के काम को प्रोत्साहन मिलेगा।

अतिरिक्त साधन

७०. अब मैं बजट भाषण के उस भाग पर आता हूं जिसका उत्सुकता से इन्तजार किया जाता है। मगर मैं देख रहा हूं कि माननीय सदस्य बड़े निश्चिन्त बैठे हैं। शायद उन्होंने यह मान लिया है कि इस बार कर बढ़ाने की कोई तजवीज नहीं होगी। मैं माननीय सदस्यों की इच्छा जरूर पूरी करता, मगर मजबूरी है मेरी कि गुलों को खार से कैसे जुदा किया जाये। कोशिश जरूर रही है कि दर्दे खार अवाम को महसूस न हो। अब मैं आपकी इजाजत से साधन मुहैय्या करने की चन्द तजवीजें पेश कर रहा हूं।

बिक्री-कर

७१. कर प्रस्तावों का मैं दारू से श्री गणेश करता हूं। देशी शराब पर बिक्री-कर २ १/२% है उसको बढ़ा कर १५% करने का मेरा प्रस्ताव है। अफीम व भांग पर कर की दर इस वक्त ७% है, उसको १० प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। गत वर्ष पेट्रोल व एवियेशन स्पिरिट की दर बढ़ाई गई थी, पर डीजल पर कर नहीं बढ़ाया गया। मैं अब हाई स्पीड डीजल आइल के विक्रय पर कर १०% से बढ़ा कर १२ १/२% करने का प्रस्ताव करता हूं। इन वृद्धियों से ४९.०० लाख की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

७२. अब मैं कुछ ऐसे प्रस्ताव रखूंगा जिनमें केन्द्रीय बिक्री-कर कम करने से ज्यादा आमदनी होने की संभावना है। कुछ वस्तुओं के बारे में, खास तौर से ऐसा माल जो अन्तर्राज्यीय व्यापार में बिकता है, व्यापार और उद्योग द्वारा कर व्यवस्था युक्तिसंगत करने की मांग रही है। इसलिये कृत्रिम रेशे, उनके सूत और डोरे जिसमें मिश्रित सूत (Blended Yarn) भी शामिल है, अलोह धातु की चादरें, तार, नालियां (Tubings) इत्यादि, पेस्टीसाइड और फंगी साइड पर केन्द्रीय बिक्री-कर की दर तीन प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार केन्द्रीय बिक्री-कर की दर घटा कर हाइड्रोजिनेटेड तेल (वनस्पति सहित) पर १ १/२ प्रतिशत और एल्युमिनियम कन्डक्टर्स आदि, इस्पात के तार (Steel wire), पावर केबल तथा बिजली के तार पर २ प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप १९७१-७२ में ३८ लाख की अतिरिक्त आय का अनुमान है।

७३. पड़ौसी राज्यों के तेल व्यापारियों और हमारे व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण हमारा तेल उद्योग कुछ समय से मन्दी में है। हमारे इस उद्योग को पड़ौसी राज्यों के मुकाबले सक्षम करने की दृष्टि से मैं सरसों, अलसी व तोरीया के तेल पर केन्द्रीय बिक्री-कर ३% से घटा कर २% करने का प्रस्ताव करता हूं बशर्ते यह तेल राज्य में रियायती दर पर १% बिक्री-कर देकर खरीदे गये तिलहन से बनाया गया हो। इसके अलावा पड़ौसी राज्यों में खली पर केन्द्रीय बिक्री-कर की छूट है और राज्य में इस पर १% का केन्द्रीय बिक्री-कर हमारे उद्योग पर अतिरिक्त भार है इसलिये मैं खली को केन्द्रीय बिक्री-कर से छूट देने की तजवीज करता हूं।

(श्री मथुरादास माथुर)

७४. राज्य के बढ़ते हुए औद्योगिकरण से पेकिंग माल की खपत बराबर बढ़ रही है। परन्तु हमारा स्थानीय पेकिंग सामग्री उद्योग नुकसान में रहता है क्योंकि बाहर से आये माल पर ३% केन्द्रीय बिक्री-कर ही लगता है और स्थानीय माल पर ७% की दर से कर देना होता है। अतः राज्य में पेकिंग सामग्री उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये मैं बिक्री-कर की दर ३% करने का प्रस्ताव करता हूं।

७५. अभी आकस्मिक व्यापारियों (Casual Traders) और कुछ अधिसूचित वस्तुओं के व्यापारियों को उनके द्वारा बेचे गये माल पर उनके वार्षिक टर्न ओवर की सीमा का ध्यान दिये बिना, कर देना पड़ता है। इन छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिये राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव हैं।

७६. कुछ परिस्थितियों में अभी माल पर देय कर के बराबर रकम चेक-पोस्ट पर वसूल की जाती है। इससे सम्बन्धित प्रावधानों की वैधता पर सन्देह प्रगट किया गया है। इसके अलावा इससे व्यापार में भी असुविधा होती है। इसलिये प्रस्ताव है कि चैक-पोस्ट पर वसूली की प्रथा बन्द कर दी जाये। चैक-पोस्ट व नाका बेरियर से सम्बन्धित कुछ अन्य प्रावधान भी संशोधित करने का प्रस्ताव है।

७७. राज्य के व्यापार और उद्योग की यह आम शिकायत है कि सरकारी विभाग और उसके द्वारा नियन्त्रित संस्थान, रजिस्टर्ड डीलर और इन्टेन्डिंग मेन्यूफेक्चरर (Intending Manufacturer) कुछ शर्तों पर माल ३% केन्द्रीय बिक्री-कर देकर खरीद सकते हैं। ऐसे खरीददारों को राज्य में से ही माल खरीदने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये, यह प्रस्ताव है कि कुछ निर्धारित वस्तुओं पर ३% की दर से ही बिक्री-कर लिया जाये अगर उन वस्तुओं पर पहले से ही कर की दर इनसे कम नहीं है। इससे ५ लाख की अतिरिक्त आय का अनुमान है। यह प्रस्ताव व इससे फौरन पहले किये गये दो प्रस्ताव उस दिन से प्रभावी होंगे जब करारोपण विधियां (संशोधन विधेयक), १९७१ सदन द्वारा अनुमोदित हो जायेगा।

माल-कर

७८. सार्वजनिक माल वाहनों द्वारा ढोए गये माल पर माल कर पक्की सड़कों पर १० प्रतिशत व कच्ची सड़कों पर २५ प्रतिशत की दर से देय है। ऐसे वाहनों के मालिकों को इस कर के बजाय एक मुश्त रकम देने का विकल्प भी प्राप्त है। यह एक मुश्त देय राशि वास्तविक भाड़े पर कर की दरों से काफी कम है। अतः कर की वर्तमान दरें बगैर बढ़ाये हुए, विभिन्न श्रेणी के वाहनों पर देय एक मुश्त रकम में यथोचित बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार अस्थायी परमिटों पर चलने वाले ऐसे वाहनों के मालिकों द्वारा देय एक मुश्त राशि में भी तदनुरूप वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, अब तक उक्त मालिकों द्वारा एक मुश्त रकम कम से कम एक सप्ताह की अवधि के लिये देय थी परन्तु अब इसे घटा कर ३ दिन करने का प्रस्ताव है। इन उपायों से ८ लाख रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है।

(श्री मथुरादास माथुर)

रजिस्ट्री

७६. कृषकों द्वारा भूमि विकास बैंकों से लिये गये ऋणों के लिये लिखतों की लाजमी तौर पर रजिस्ट्री आवश्यक नहीं है और केवल उनकी एक प्रतिलिपि ही सम्बन्धित सब-रजिस्ट्रार को भेजनी काफी है। इस सुविधा से कृषकों को रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी पड़ती है। शैड्यूल्ड बैंकों और एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन की कृषि के लिये ऋण की सुविधा देने में बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए यह प्रस्ताव है कि इन संस्थाओं द्वारा ऋण दिये जाने पर भी कृषकों को वही सुविधायें दी जायें जो उन्हें भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन एक्ट, १६०८ में आवश्यक संशोधन करने के लिये विधेयक सदन में चालू सत्र में ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

कृषि भूमि का आबादी में परिवर्तन

८०. सन् १६६६-७० का बजट पेश करते समय मैंने घोषणा की थी कि सरकार रिहायशी और वाणिज्य कार्यों के लिये कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने की मंजूरी देने का इरादा रखती है। उसके बाद इस मसले पर गंभीरता से गौर किया गया और यह महसूस किया गया कि अनियन्त्रित तरीकों से भूमि को परिणित करने से समाज के गरीब तबकों पर बुरा असर पड़ेगा तथा कस्बों के योजनाबद्ध विकास में बाधा आयेगी। इसलिये सरकार ने अब तक देहाती इलाकों में ही कृषि भूमि को आबादी में परिणित करने की छूट दी है।

८१. अब म्युनिसिपल कस्बों और उसके आस पास के गांवों के लिये सरकार ने यह नीति तय की है कि आबादी के विकास के लिये आवश्यकतानुसार इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, हाउसिंग बोर्ड और नगरपालिकायें कृषि भूमि की अवाप्ति करेगी। सरकार यह महसूस करती है कि जिन म्युनिसिपल कस्बों और उनके आस पास के गांवों में मौजूदा कानून के उल्लंघन में कृषि भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया गया है, वहां जमीन पर काबिज लोगों को हटाने की कार्यवाही न की जाये और ऐसी जमीन को निर्धारित फीस लेकर आबादी में परिवर्तित कर दिया जाय और इस प्रकार निर्माण कार्य को नियमित कर दिया जाये। राज्य सरकार को १६७१-७२ में इससे ४० लाख रुपये की आय होने की आशा है।

रेन्ट रेट रिवीजन

८२. माननीय मुख्य मंत्री ने २५ मार्च, १६७० को सदन में सरकार की रेन्ट रेट रिवीजन के बारे में नीति की घोषणा की थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि इस नीति के अनुसार २० तहसीलों और तीन प्रोजेक्ट क्षेत्रों में रेन्ट रेट रिवीजन कर दिया जाये, जिनकी रिपोर्ट पहले से ही सरकार के विचाराधीन है। इसके कारण भू-राजस्व की आय में ४० लाख की वार्षिक वृद्धि होगी। १६७१-७२ में इससे २० लाख की अतिरिक्त आय का अनुमान है।

खुशहाली कर

८३. माननीय सदस्यों को याद होगा कि अपने पिछले बजट भाषण में मैंने सरकार के इस निर्णय की घोषणा की थी कि सभी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ५ एकड़ तक के जोतों पर खुशहाली कर समाप्त कर दिया

Page No 26

(श्री मथुरादास माथुर)

आये। अभी एक हजार एकड़ तक सिंचित क्षेत्र वाली सभी नई सिंचाई योजनाओं में खुशहाली कर वसूल किया जाता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं से केवल रबी में ही सिंचाई होती है और वह भी मानसून की अनिश्चितता पर निर्भर रहती है, यह तय किया गया है कि तमाम मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं में खुशहाली कर समाप्त कर दिया जाये। इस निर्णय के बाद अब केवल बारामासी बड़ी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ५ एकड़ से ऊपर की जोतों पर ही खुशहाली कर वसूल किया जायेगा।

बजट की कुल स्थिति

८४. ऊपर बताये गये अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयत्नों से १.९० करोड़ की आमदनी होगी। मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि १९७०-७१ के कर स्तर पर कुल बजट घाटा २५.५१ करोड़ रहेगा। राज्य की योजना के लिये बजट में दिखाई गई धनराशि में ३० लाख अधिक खर्च और अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयत्नों से संभावित आय का समायोजन करने के बाद कुल घाटा २४.२१ करोड़ रह जाता है।

८५. इस घाटे का योजना व गैर योजना मदों में विभाजन इस प्रकार है—योजना १.४८ करोड़ और गैर योजना २२.७३ करोड़। यह उम्मीद है कि योजना मद में घाटा शक्कर, कपड़ा और तम्बाकू पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति की सिफारिशों के अनुसरण में लगाये जाने वाले अतिरिक्त आबकारी कर और केन्द्रीय सरकार द्वारा १९७१-७२ में अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों में राज्य के हिस्से से बिलकुल पूरा हो जायगा। जहां तक गैर योजना मद के २२.७३ करोड़ के घाटे का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इसकी पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा जरूरतमन्द राज्यों को बजट घाटा पूरा करने के लिये दी जाने वाली विशेष सहायता से हो जायेगी।

८६. श्रीमान्, अब मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूं। मैंने सदन के सामने राजस्थान की मौजूदा वित्तीय स्थिति और विकास की तस्वीर मोटे रूप से पेश की है। हमारा मकसद गरीबी, सामाजिक अन्याय और शोषण को मिटाकर एक नये समाज की रचना करना है। इस मकसद को हासिल करने के लिये हमें अपने नजरिये और तौर-तरीकों में इन्कलाबी तब्दीली लानी होगी। सदियों से मुफलसी के दामन में पलने वाला, दबा इंसान अब निजात चाहता है। उसको सब्र का जाम लबरेज हो चुका है। वह तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ने के लिये बेताब है। मंजिल दूर है और रास्ता कठिन है, मगर अवाम के इरादे दृढ़ और मजबूत हैं। ये बढ़ते कदम कभी रुक न पायेंगे।

८७. श्रीमान् इन शब्दों के साथ, मैं १९७१-७२ के बजट के तखमीने सदन के समक्ष विचार एवं स्वीकृति के लिये पेश कर रहा हूं।

❀ जय हिन्द ❀

विधायी कार्य

श्री अध्यक्ष : राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९७१।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९७१ को, पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, २९ मार्च ११ बजे प्रातः तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् १२-२५ पर सोमवार, दिनांक २९ मार्च, १९७१ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक २७ मार्च, १९७१)

स्तम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
६	७	आर	और
,,	अन्तिम से ४	वित्तय	वित्तीय
७	शीर्ष	वित्तय	वित्तीय
१३	७	अकान्ट	अकाउन्ट
१७	अन्तिम से ३	कोशीश	कोशिश
१९	३	नितर	निरंतर
२१	७	स्वीकृत	स्वीकृत
,,	अन्तिम से १३	मे	में
२२	,, ७	बानस	बोनस
२३	,, ५	तो	को
२७	४	सरकर	सरकार
३१	शीर्ष	वत्तीय	वित्तीय
३२	६	शहरा	शहरों
३५	९	राजगार	रोजगार
,,	११	वॉर्पोरेशन	कार्पोरेशन
,,	१२	जायेगा	जायेगी
३७	८	अस्पतालों	अस्पतालों
३८	१०	क	का
४५	अन्तिम से ११	२१/२%	१२ १/२%
५०	११	को	की
५४	अन्तिम से ६	२९ मार्च, ११ बजे प्रातः	२९ मार्च, प्रातः ११ बजे